ग्राम पंचायत बरनोह, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बरनोह, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत बरनोह में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री बक्शीश सिंह	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अजय कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बरनोह, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	16.19
2)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करना	0.08
3)	8.1	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय	3.34
4)	8.2	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	1.03
5)	8.3	स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.15
6)	8.4	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	0.13
7)	9	अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	3.80

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः-

1) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2017 से 03/2019

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1.	पैरा-3	निर्णीत	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
2.	पैरा- 4 (क, ख व ग)	निर्णीत	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
3.	पैरा- 5(क)	निर्णीत	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
4.	पैरा- 5 (ख)	अनिर्णीत।	
5.	पैरा- 6	निर्णीत	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)

6.	पैरा- 7	निर्णीत	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
7.	पैरा-8	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
8.	पैरा-9	निर्णीत।	अपेक्षित बिल / वाउचरों की सत्यापना उपरांत
9.	पैरा-10	अनिर्णीत।	
10.	पैरा-11	अनिर्णीत।	
11.	पैरा-12	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
12.	पैरा-13	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
13.	पैरा-14	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
14.	पैरा-15	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुनः प्रारूपित।
15.	पैरा-16	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
16.	पैरा-17	निर्णीत।	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में शामिल किया गया)
17.	पैरा-18	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत बरनोह, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक

07.09.2024 से 13.09.2024 तक ग्राम पंचायत बरनोह के कार्यालय में किया गया | आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/2023	05/2022
2023-24	01/2024	07/2023

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत बरनोह, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क **₹4800** आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 776/2024 दिनांक 13/09/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत बरनोह द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित ऊना के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 311640 दिनांक 18/09/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4 **(क) वित्तीय स्थिति:-**

सचिव, ग्राम पंचायत बरनोह द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 756/2024 दिनांक 07/09/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/22 से 03/24 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण सलंग्न **परिशिष्ट**

"**क**" पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान सात रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही) Offline, अनुदान (प्लानिंग शीर्ष) Offline, 15वां वित्तायोग (Online), 14वां वित्तायोग Offline, राजीव आवास योजना Offline, स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) Offline व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2022-23	2155217.36	8515143.14	10670360.50	8918376.14	1751984.36
2	2023-24	1751984.36	3334347.4	5086331.76	3467024.4	1619307.36

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत बरनोह के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.24 को **निम्नानुसार** रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **शून्य** था :-

1)	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	1619307.36
2)	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**1619244.36**
3)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	63.00
4)	**योग (2+3)**	**1619307.36**
5)	**अन्तर (4-1)**	**0.00**

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 756/2024 दिनांक 07/09/2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 09/2024-2025 दिनांक 13/09/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹16.19 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 756/2024 दिनांक 07/09/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹1619307.36** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अतः ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 756/2024 दिनांक 07/09/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 09/2024-2025 दिनांक 13/09/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेदार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 756/2024 दिनांक 07/09/2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 09/2024-2025 दिनांक 13/09/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व की वसूली बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 756/2024 दिनांक 07/09/2024 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 09/2024-2025 दिनांक 13/09/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व गृहकर राशि **(परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शून्य शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	0	25850	25850	0	25850
2023-24	25850	25850	51700	51700	00

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.08 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **(सलंग्न परिशिष्ट ग अनुसार)** वसूली गई राशि **₹8400** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2022-23	5600
2	2023-24	2800
	योग	**8400**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 762/2024 दिनांक 09/09/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 11/2024-2025 दिनांक 13/09/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹200 की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजिकरण तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के

अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान **सलंग्न परिशिष्ट ग में** वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों **से ₹200** की कम वसूली की गई थी :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	2022-23	200
	योग	**200**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 763/2024 दिनांक 11/09/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 11/2024-2025 दिनांक 13/09/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके निधि लेखे में जमा करवा दी गई है, जिसे राजकीय कोष के मद 0070-60-108-01 में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

8.1 ₹3.34 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित है तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 06/2023 में **₹334318** की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 774/2024 दिनांक 13/09/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 11/2024-2025 दिनांक 13/09/2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा

अंकेक्षण अवधि दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम संख्या	मद	वाउचर संख्या	माह	विवरण	राशि(18 % GST सहित)
1	मनरेगा	120	05-2022	4000 पेवर/ ब्लॉक @ 11.682/- प्रति पेवर	46728
2	मनरेगा	121	05-2022	3000 पेवर/ ब्लॉक @ 11.682/- प्रति पेवर	35046
3	मनरेगा	113	05-2022	4000 पेवर/ ब्लॉक @ 11.682/- प्रति पेवर	46728
4	मनरेगा	114	05-2022	4000 पेवर/ ब्लॉक @ 11.682/- प्रति पेवर	46728
5	मनरेगा	115	05-2022	4000 पेवर/ ब्लॉक @ 11.682/- प्रति पेवर	46728
6	मनरेगा	116	05-2022	4000 पेवर/ ब्लॉक @ 11.682/- प्रति पेवर	46728
7	मनरेगा	117	05-2022	4000 पेवर/ ब्लॉक @ 11.682/- प्रति पेवर	46728
8	MMGPY	8	07-2023	1800 पेवर/ ब्लॉक @ 10.502/- प्रति पेवर	18904
				योग	**334318**

8.2 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹1.03 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल /2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय

हि० प्र० की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी कि कटौती नहीं कि जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्लयू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 05/2022 व 07/2023 के व्यय वाउचरों की जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए | परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलंग्न **परिशिष्ट "घ"** अनुसार **₹103362** का अनियमित भुगतान किया गया | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 773/2024 दिनांक 12/09/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 11/2024-2025 दिनांक 13/09/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था |

अत: **₹103362** की रॉयल्टी की कटौती न करके किये गये अनियमित भुगतान से सम्बन्धित मामला जिला के खनन अधिकारी से उठाया जाए व तदानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

8.3 आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से स्त्रोत पर ₹0.15 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक एकल अनुबन्ध में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा

2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के चयनित माह 05/22 में आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट "ड."** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹753200** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹15064** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**फर्म / व्यक्ति का नाम**	**क्रय सामान का विवरण**	**राशि**	**योग**	**जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि**
1	2022-23	Guruchandan Govt. Cont. Una	Sand, agg. etc	485900	485900	9718 (2% x 485900)
2	2022-23	Superior Tiles & Blocks Baduhi	Pevers/ Blocks	267300	267300	5346 (2% x 267300)
				योग	**753200**	**15064**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 775/2024 दिनांक 13/09/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 11/2024-2025 दिनांक 13/09/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित **₹15064** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है । अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मों / व्यक्तियों से करने के उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

8.4 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.13 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार ₹13423** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 771/2024 दिनांक 12/09/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 11/2024-2025 दिनांक 13/09/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है, जिसे सक्षम प्राधिकारी कि स्वीकृति से नियमित करवाया जाए। अत: सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रमांक	शीर्ष का नाम	माह	वाउचर / बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	Own &GIA	05/22	850 18.05.22	Raju Stationery Mart Una	Stationery	2765
2	Own & GIA	07/23	925 07.06.23	M/S Mangal singh & Sons	Steel pipe	3622
3	Own & GIA	07/23	0044 01.06.23	M/S Deepak sharma & Associates Una	Digital Signature	1770
4	Own & GIA	07/23	0043 01.06.23	M/S Deepak sharma & Associates Una	Digital Signature	1770
5	Own & GIA	07/23	766 01.06.23	M/S Jagdamba Handloom House una	Curtain	3496
					योग	**13423**

8.5 स्व: स्त्रोत शीर्ष से ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में स्व: स्त्रोत निधि से **निम्नानुसार** निविदा आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन पर **₹12213** का भुगतान किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में **वर्णित Appendix-"A"** के क्रम संख्या 13 अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा केवल **₹5000** तक का भुगतान ही एक वित्तीय वर्ष में विज्ञापन पर किया जा सकता है अर्थात ग्राम पंचायत द्वारा **₹2213** का अधिक भुगतान विज्ञापन पर गया। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 764/2024 दिनांक 11/09/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 11/2024-2025 दिनांक 13/09/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की वसूली रसीद संख्या 130183 दिनांक 12.09.24 द्वारा करके पंचायत लेखे में जमा करवा दी गई है | जिसकी जमा बारे पुष्टि बैंक पासबुक से कर ली गई है |

क्रम संख्या	**वाउचर संख्या**	**माह**	**भुगतान योग्य राशि (₹)**	**भुगतान की गई राशि (₹)**	**अधिक भुगतान की गई राशि (₹)**
1	5,6	05/22	5000	5085	85
2	25 to 27	01/24	5000	7128	2128
			योग	**12213**	**2213**

8.6 निर्माण सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के कारण ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 05/2022 में अनुदान (प्लानिंग शीर्ष) से करवाए गए **निम्नानुसार** निर्माण कार्य के अंकेक्षण में पाया गया कि माप पुस्तिका में निर्माण सामग्री (बजरी) का निष्पादन कम किया गया दर्शाया गया था, जबकि इस कार्य के लिए निर्माण सामग्री अधिक जारी की गई थी तथा शेष बची हुई सामग्री को सामग्री स्टॉक रजिस्टर में भी वापिस नहीं लिया गया था | इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा **निम्न**

विवरनानुसार सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के कारण **₹2170** का अधिक भुगतान किया गया था |

क) कार्य का नाम :- C/O निर्माण सामुदायिक भवन डंगेडा वार्ड नंबर 6

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	**मद का नाम**	**मात्रा (घन मीटर)**	**बजरी (घन मीटर)**
10602 14	CC 1:4:8	10.47	9.31
15	CC 1:1.5:3	8.1	7.20
17	BW 1:5	12.79	0.00
19	CC 1:6:12	3.44	3.06
19	CC1:2:4	1.27	1.13
		योग	**20.7**
	ग्राम पंचायत द्वारा जारी / खपत मात्रा		**22.65**
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री		1.95
	क्रय दर		1113 प्रति घन मीटर
	अधिक भुगतान		**2170**

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 765/2024 दिनांक 11/09/2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 11/2024-2025 दिनांक 13/09/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि **₹2170** की वसूली रसीद संख्या 247535 दिनांक 12.09.24 द्वारा करके पंचायत लेखे में जमा करवा दी गई है | जिसकी जमा बारे पुष्टि बैंक पासबुक से कर ली गई है |

9 ₹3.80 लाख के व्यय के समर्थन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित

माह 07/2023 में **निम्न विवरणानुसार** कार्य हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों के अन्तर्गत **₹380054.28** का भुगतान किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका अंकेक्षण अधियाचना संख्या 772/2024 दिनांक 12/09/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 11/2024-2025 दिनांक 13/09/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी । नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ।

क्रम संख्या	**शीर्ष का नाम**	**वाउचर संख्या व माह**	**कार्य का नाम**	**बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक**	**सामग्री**	**राशि (₹)**
1	MNREGA	07/23	C/O Panchwati ward no. 2	1195,209, 210, 2239 to 2242, 236, 237, 2503, 263 dtd 27.07.2023	रेत, बजरी, मिट्टी इत्यादि	380054.28
					योग	**380054.28**

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 757/2024 दिनांक 07/09/2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था । प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 10/2024-2025 दिनांक 13/09/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है । यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राक्कलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 756/2024 दिनांक 07/09/2024 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 09/2024-2025 दिनांक 13/09/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

13 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

5595-5599 21 NOV 2024 का०/5/नि०

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(5)60/2019–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि०प्र०।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना (हि०प्र०)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत बरनोह, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

21 NOV 2024

का०/5/नि०

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

परिशिष्ट "क"   पैरा संख्या 4(क)में संदर्भित

ग्राम पंचायत बरनोह, विकास खण्ड व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	2155217.36	8515143.14	10670360.50	8918376.14	1751984.36
2	2023-24	1751984.36	3334347.4	5086331.76	3467024.4	1619307.36

सचिव
ग्राम पंचायत बरनोह
वि.ख. ऊना (हि0प्र0)

ग्राम पंचायत बरनोह, विकास खण्ड व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित) Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1561835.36	944385	2506220.36	1916861	589359.36
2	2023-24	589359.36	510320	1099679.36	481260	618419.36

स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	345950	345950	345950	0
2	2023-24	0	64202	64202	64202	0

अनुदान (Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	3091990	3091990	2367897	724093
2	2023-24	724093	907086	1631179	931999	699180

15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	589752	479485	1069237	634470	434767
2	2023-24	434767	173690	608457	307130	301327

सचिव
ग्राम पंचायत बरनोह
वि.ख. ऊना (हि0प्र0)

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	3653198.14	3653198.14	3653198.14	0
2	2023-24	0	1678947.4	1678947.4	1678947.4	0

राजीव आवास योजना (Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	344.00	12	356	0.00	356
2	2023-24	356	12	368	0	368

14वां वित्तायोग Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	3286	123	3409	0.00	3409
2	2023-24	3409	90	3499	3486	13

सचिव
ग्राम पंचायत बरनोह
वि.ख. ऊना (हि०प्र०)

1)	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	1619307.36
2)	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष (परिशिष्ट क-1)	**1619244.36**
3)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि	63.00
4)	**योग (2+3)**	**1619307.36**
5)	**अन्तर (4-1)**	**0.00**

सचिव
ग्राम पंचायत बरनोह
वि.ख. ऊना (हि0प्र0)

परिशिष्ट क-1 पैरा संख्या 4(ख) में संदर्भित

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Una (Own & GIA)	20013012526	618356.36
	IDBI DANGOLI (GIA)	1899104000025142	699180.00
	IDBI DANGOLI (15TH FC)	1899104000023126	301327.00
	IDBI DANGOLI (14TH FC)	1899104000010441	13.00
	IDBI DANGOLI (RAY)	1899104000010627	368.00
		योग	**1619244.36**
2		**हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)**	63.00
		योग (1+2)	**1619307.36**

सचिव
ग्राम पंचायत बरनोह
वि.ख. ऊना (हि०प्र०)

परिशिष्ट 'ख'

पैरा संख्या 7.1 (2) में संदर्भित

ग्राम पंचायत बरनोह, विकास खण्ड व जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	0	25850	25850	0	25850
2023-24	25850	25850	51700	51700	00

सचिव
ग्राम पंचायत बरनोह
वि.ख. ऊना (हि0प्र0)

परिशिष्ट 'ग'　　　　पैरा संख्या 7.2 में सन्दर्भित　7.3

स्वच्छ हिमाचल स्वस्थ हिमाचल　　　　जय हिंद जय भारत

कार्यालय ग्राम पंचायत बरनोह

विकास खण्ड व जिला ऊना

रिपोर्ट							दिनांक :– 07.09.2024
विवाह पंजीकरण शुल्क के रुप में बसूल की गई दिनांक 01–04–2022 से 31–03–2024 तक बारे।							
कमाक सख्या	नाम	विवाह की दिनाक	पंजीकरण की दिनाक	बसूली योग्य राशि	रसीद संख्या	बसूली गई राशि	बसूली शेष राशि
1	लक्ष्य परिहार	16.04.2022	06.05.2022	200	91966	200	—
2	जसवंत सिंह	22.05.2021	09.05.2022	400	91967	400	—
3	हरीश सिंह	24.04.2022	09.05.2022	200	91968	200	—
4	कुलविन्दर सिंह	24.4.2022	10.05.2022	200	91969	200	—
5	प्रदीप शर्मा	04.05.2022	17.05.2022	200	91973	200	—
6	सुमित कुमार	26.05.2022	03.06.2022	200	91976	200	—
7	अक्षय बैंस	31.05.2022	17.06.2022	200	91977	200	—
8	पंकज राणा	21.04.2019	23.06.2022	400	91981	200	200
9	चेतन शर्मा	03.07.2022	30.07.2022	200	91986	200	—
10	ब्रिजभूषण	27.09.2022	31.10.2022	200	91999	200	—
11	लेख राज	02.12.2022	22.12.2022	200	247603	200	—
12	विक्रम सिंह	02.12.2022	21.12.2022	200	247602	200	—
13	सुनील कुमार	30.10.2022	12.12.2022	400	247601	400	—
14	अनुज कुमार	04.12.2022	24.12.2022	200	247604	200	—
15	शुभकर्ण	09.12.2022	28.12.2022	200	247605	200	—
16	मोहम्मद राईस	09.11.2022	22.01.2023	400	247609	400	—
17	अश्वनी कुमार	31.01.2023	09.03.2023	400	247610	400	—
18	सतिंदर कुमार	15.02.2023	10.03.2023	200	247611	200	—
19	मनमोहन सिंह	22.02.2023	13.03.2023	200	247612	200	—
20	धर्मेन्द कुमार	17.02.2023	15.03.2023	200	247613	200	—
21	अवतार सिंह	27.09.2022	22.03.2023	400	247615	400	—
22	धर्म पाल	10.02.2023	21.03.2023	400	247616	400	—
23	श्रेय शर्मा	09.03.2023	04.05.2023	400	247621	400	—
24	गोरव ठाकुर	10.05.2023	19.05.2023	200	247622	200	—
25	संजय कुमार	11.05.2023	25.05.2023	200	247623	200	—
26	अमन कुमार	11.05.2023	21.05.2023	200	247624	200	—
27	कपिल देव	12.05.2023	02.06.2023	200	247625	200	—
28	शशी पाल	21.05.2023	08.06.2023	200	247626	200	—
29	गुरदीप सिंह	23.06.2023	11.07.2023	200	247628	200	—
30	विनय शर्मा	11.06.2023	11.07.2023	200	247629	200	—
31	नीरज कुमार	23.10.2023	16.11.2023	200	247634	200	—
32	राजन	18.09.2023	26.09.2023	200	247638	200	—
33	सुनील कुमार	14.12.2023	19.12.2023	200	247639	200	—
34	प्रभात ठाकुर	22.11.2023	21.12.2023	200	247640	200	—
35	मनिंदर पाल	14.02.2024	13.03.2024	200	130162	200	
			कुल योग	8600		8400	200

सचिव
ग्राम पंचायत बरनोह
वि.ख. ऊना (हि0प्र0)

परिशिष्ट 'ठ'	पैरा संख्या 8.2 में सन्दर्भित

GRAM PANCHAYAT BARNOH

रेत,बजरी व पत्थर के क्रय सम्बन्धी सूचना बाबत माह 05/2022 व 07/2023

क्रम संख्या	योजना	वाउचर संख्या	माह	कार्य का नाम	बिल संख्या / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा (क्यूबिक मीटर में)	कन्वर्जन फेक्टर	मात्रा टनों में	दर	देय रोयल्टी
1	मनरेगा	131	05-2022	निर्माण पंचवटी वार्ड न० 02, बरनोह	1940 / 11-03-2022	Guruchandan Govt. Cont.	रेत	42.48	1.62	68.82	80.00	5505.52
2	मनरेगा	132	05-2022	निर्माण पंचवटी वार्ड न० 02, बरनोह	1941 / 11-03-2022	Guruchandan Govt. Cont.	रेत	42.48	1.62	68.82	80.00	5505.52
3	मनरेगा	133	05-2022	निर्माण पंचवटी वार्ड न० 02, बरनोह	1942 / 11-03-2022	Guruchandan Govt. Cont.	रेत	42.48	1.62	68.82	80.00	5505.52
4	मनरेगा	134	05-2022	निर्माण पंचवटी वार्ड न० 02, बरनोह	1943 / 12-03-2022	Guruchandan Govt. Cont.	बजरी	42.48	1.52	64.57	80.00	5165.68
5	मनरेगा	135	05-2022	निर्माण पंचवटी वार्ड न० 02, बरनोह	1944 / 12-03-2022	Guruchandan Govt. Cont.	बजरी	42.48	1.52	64.57	80.00	5165.68
6	मनरेगा	136	05-2022	निर्माण पंचवटी वार्ड न० 02, बरनोह	1945 / 12-03-2022	Guruchandan Govt. Cont.	बजरी	42.48	1.52	64.57	80.00	5165.68
7	मनरेगा	137	05-2022	निर्माण पंचवटी वार्ड न० 02, बरनोह	1946 / 14-03-2022	Guruchandan Govt. Cont.	बजरी	42.48	1.52	64.57	80.00	5165.68
8	मनरेगा	138	05-2022	निर्माण पंचवटी वार्ड न० 02, बरनोह	1947 / 14-03-2022	Guruchandan Govt. Cont.	बजरी	28.32	1.52	43.05	80.00	3443.78
9	मनरेगा	139	05-2022	निर्माण पंचवटी वार्ड न० 02, बरनोह	1948 / 14-03-2022	Guruchandan Govt. Cont.	बजरी	28.32	1.52	43.05	80.00	3443.78
10	मनरेगा	140	05-2022	निर्माण मोक्षधाम वार्ड न० 06, बरनोह	1949 / 14-03-2022	Guruchandan Govt. Cont.	रेत	28.32	1.62	45.88	80.00	3670.35
11	मनरेगा	141	05-2022	निर्माण मोक्षधाम वार्ड न० 06, बरनोह	1950 / 14-03-2022	Guruchandan Govt. Cont.	बजरी	42.48	1.52	64.57	80.00	5165.68
12	मनरेगा	17	07-2023	निर्माण पंचवटी वार्ड न० 02, बरनोह	2239 / 30-08-2022	Guruchandan Govt. Cont.	रेत	42.48	1.62	68.82	80.00	5505.52
13	मनरेगा	18	07-2023	निर्माण पंचवटी वार्ड न० 02, बरनोह	2241 / 30-08-2022	Guruchandan Govt. Cont.	बजरी	42.48	1.52	64.57	80.00	5165.68
14	मनरेगा	19	07-2023	निर्माण पंचवटी वार्ड न० 02, बरनोह	2240 / 30-08-2022	Guruchandan Govt. Cont.	बजरी	42.48	1.52	64.57	80.00	5165.68

15	मनरेगा	20	07-2023	निर्माण पंचवटी वार्ड न० 02, बरनोह	2242 / 30-08-2022	Guruchandan Govt. Cont.	रेत	22.66	1.62	36.70	80.00	2936.28
16	मनरेगा	21	07-2023	निर्माण पंचवटी वार्ड न० 02, बरनोह	2503 / 03-02-2023	Guruchandan Govt. Cont.	बजरी	5.66	1.52	8.61	80.00	688.76
17	मनरेगा	22	07-2023	निर्माण मोक्षधाम वार्ड न० 06, बरनोह	2473 / 17-01-2023	Guruchandan Govt. Cont.	रेत	19.82	1.62	32.12	80.00	2569.24
18	मनरेगा	22	07-2023	निर्माण मोक्षधाम वार्ड न० 06, बरनोह	2473 / 17-01-2023	Guruchandan Govt. Cont.	रेत	8.50	1.62	13.76	80.00	1101.10
19	VKVNY	8	05-2022	निर्माण सामुदायिक भवन डंगेडा वार्ड न० 06	1979/16-03-2022	Guruchandan Govt. Cont.	रेत	11.33	1.62	18.35	80.00	1468.14
20	VKVNY	8	05-2022	निर्माण सामुदायिक भवन डंगेडा वार्ड न० 06	1979/16-03-2023	Guruchandan Govt. Cont.	बजरी	16.99	1.52	25.83	80.00	2066.27
21	MMGPY	6	07-2023	निर्माण पक्का पाथ / रिटेनिंग वाल बलराम सिंह के घर से प्रदीप सिंह तक वार्ड 02	2632/15-05-2023	Guruchandan Govt. Cont.	रेत	16.99	1.62	27.53	80.00	2202.21
22	MMGPY	7	07-2023	निर्माण पक्का पाथ / रिटेनिंग वाल बलराम सिंह के घर से प्रदीप सिंह तक वार्ड 02	2633/15-05-2023	Guruchandan Govt. Cont.	रेत	1.42	1.62	2.29	80.00	183.52
23	MMGPY	7	07-2023	निर्माण पक्का पाथ / रिटेनिंग वाल बलराम सिंह के घर से प्रदीप सिंह तक वार्ड 02	2633/15-05-2023	Guruchandan Govt. Cont.	बजरी	5.66	1.62	9.18	80.00	734.07
									योग	1033.62	80	82689.32
											25% पेनल्टी	20672.33
											कुल योग	103361.65

परिशिष्ट 'ड' पैरा संख्या 43 में सन्दर्भित

GRAM PANCHAYAT BARNOH

05/2022 में Guruchandan Govt. Cont. Una **को किये गये भुगतान का विवरण**

क्रम संख्या	फर्म का नाम	वाउचर संख्या	माह	बिल संख्या	दिनाकं	राशि (जी. एस. टी. को छोड़कर)
1	Guruchandan Govt. Cont.	131	05-2022	1940	11-03-2022	46500
2	Guruchandan Govt. Cont.	132	05-2022	1941	11-03-2022	46500
3	Guruchandan Govt. Cont.	133	05-2022	1942	11-03-2022	46500
4	Guruchandan Govt. Cont.	134	05-2022	1943	12-03-2022	45000
5	Guruchandan Govt. Cont.	135	05-2022	1944	12-03-2022	45000
6	Guruchandan Govt. Cont.	136	05-2022	1945	12-03-2022	45000
7	Guruchandan Govt. Cont.	137	05-2022	1946	14-03-2022	45000
8	Guruchandan Govt. Cont.	138	05-2022	1947	14-03-2022	30000
9	Guruchandan Govt. Cont.	139	05-2022	1948	14-03-2022	30000
10	Guruchandan Govt. Cont.	140	05-2022	1949	14-03-2022	31000
11	Guruchandan Govt. Cont.	141	05-2022	1950	14-03-2022	45000
12	Guruchandan Govt. Cont. (Planning Head)	8	05-2022	1979	16-03-2022	30400
					योग	**485900**

सचिव
ग्राम पंचायत बरनोह
वि. ख. ऊना (हि0प्र0)

GRAM PANCHAYAT BARNOH

05/2022 में Superior Tiles & Blocks **को किये गये भुगतान का विवरण**

क्रम संख्या	फर्म का नाम	वाउचर संख्या	माह	बिल संख्या	दिनांक	राशि (जी. एस. टी. को छोड़कर)
1	Superior Tiles & Blocks	113	05-2022	386	10-03-2022	39600
2	Superior Tiles & Blocks	114	05-2022	387	10-03-2022	39600
3	Superior Tiles & Blocks	115	05-2022	388	10-03-2022	39600
4	Superior Tiles & Blocks	116	05-2022	390	10-03-2022	39600
5	Superior Tiles & Blocks	117	05-2022	392	11-03-2022	39600
6	Superior Tiles & Blocks	120	05-2022	394	11-03-2022	39600
7	Superior Tiles & Blocks	121	05-2022	395	11-03-2022	29700
					योग	**267300**

सचिव
ग्राम पंचायत बरनोह
जि. ऊना (हि.प्र.)